न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 74/2020
निर्णय दिनांक : 01.01.2021

1. अशोक कुमार शर्मा एच.यू.एफ. कर्ता श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री गुलजारीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बी–2/सी, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
2. श्रीप्रकाश काबरा एच.यू.एफ. कर्ता श्री श्रीप्रकाश काबरा पुत्र स्व0 श्री सीताराम काबरा जाति माहेश्वरी निवासी बी–4, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर हाल निवासी डी–135, कैलाश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
3. मंजू देवी शर्मा धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बी–2/सी, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
4. अर्पित काबरा पुत्र श्रीप्रकाश काबरा जाति माहेश्वरी निवासी बी–4, शिवमार्ग,बनीपार्क, जयपुर हाल निवासी डी–135, कैलाश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हसमपुरा बास भांकरोटा पटवार हल्का भांकरोटा कंला भू.अभिलेख निरीक्षक भांकरोटा अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 158 रकबा 0.2800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.2200 हैक्टयर व खसरा नम्बर 160 रकबा 0.2300 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टयर स्थित है। उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 158,159,160 के खातेदार नारायण पुत्र श्री मोहरिया व श्री हनुमान पोष पुत्र श्री रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम हसमपुरा वास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.05.1992 को उक्त भूमि का बेचान प्रार्थीगण संख्या एक लगायत चार अशोक कुमार [illegible] अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री गुलजारी लाल शर्मा एंव श्रीप्रकाश काबरा एच.यू.एफ. कर्ता [illegible] काबरा पुत्र स्व. सीताराम काबरा, मंजू देवी शर्मा धर्मपत्नी श्री अशोक [illegible] काश काबरा व कुमारी पुष्पा काबरा पुत्री स्व0 श्री सीताराम काबरा व [illegible] पुत्र श्री गुलजारी लाल शर्मा के हक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

...तथा विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 02–06–1992 को उप–पंजीयक, सांगानेर के यंहा पर किया गया तथा उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 04.08.1992 को प्रार्थीगण व कुमारी पुष्पा काबरा व श्री राजेश शर्मा के हक में भरकर स्वीकृत हो गया तथा इसका अमल भी राजस्व रिकार्ड में हो गया। इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व पुष्पा काबरा व राजेश शर्मा प्रत्येक हिस्सा 1/6 भाग पर काबिज काश्त है।

अप्रार्थी के अधिकारीयों, कर्मचारियों ने सहवन से एंव लापरवाही बरतते हुए दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही अंकन की लिपकीय भूल करते हुए उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या एक का नाम सहवन से ''अशोक कुमार शर्मा एच.यू.एफ. कर्ता अशोक कुमार शर्मा पुत्र गुलजारी लाल शर्मा'' के स्थान पर ''अशोक कुमार शर्मा पुंत्र गुलजारी लाल शर्मा'' अंकित कर दिया, जो मात्र लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एंव उचित है, इसी प्रकार अप्रार्थी के अधिकारीयों, कर्मचारियों ने सहवन से एंव लापरवाही बरतते हुए दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही अंकन की लिपकीय भूल करते हुए उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या दो का नाम सहवन से ''श्रीप्रकाश काबरा एच.यू.एफ. कर्ता श्रीप्रकाश काबरा पुत्र सीताराम काबरा'' के स्थान पर ''प्रकाश काबरा पुत्र सीताराम काबरा'' अंकित कर दिया, जो मात्र लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एंव उचित है, इसी प्रकार अप्रार्थी के अधिकारीयों, कर्मचारियों ने सहवन से एंव लापरवाही बरतते हुए दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही अंकन की लिपकीय भूल करते हुए उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या तीन का नाम सहवन से ''मंजू देवी शर्मा धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा'' के स्थान पर ''मंजू देवी शर्मा पुत्र श्री गुलजारी लाल शर्मा'' अंकित कर दिया, जो मात्र लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एंव उचित है, इसी प्रकार अप्रार्थी के अधिकारीयों, कर्मचारियों ने सहवन से एंव लापरवाही बरतते हुए दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही अंकन की लिपकीय भूल करते हुए उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या चार का नाम सहवन से ''अर्पित काबरा पुत्र श्रीप्रकाश काबरा'' के स्थान पर ''अर्पित पुत्र प्रकाश काबरा'' अंकित कर दिया, जो मात्र लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एंव उचित है।

प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित उक्त गलत इन्द्राजात् को दुरूस्त कर अपना सही एंव शुद्ध नाम का अंकन किये जाने बाबत अप्रार्थी से कई बार निवेदन कर चुके है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त किये जाने की कोई कार्यवाही नही की है।

इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी दुरूस्ती की जावें तथा आराजीयात् के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 11–05–1992 व इसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 36 के आधार पर प्रार्थीगण का सही एंव शुद्ध नाम प्रार्थी संख्या 1.– अशोक कुमार शर्मा एच.यू.एफ. कर्ता अशोक कुमार शर्मा पुत्र गुलजारी लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण सा. बनीपार्क, जयपुर हिस्सा 1/6 व प्रार्थी संख्या 2.– श्रीप्रकाश काबरा एच.यू.एफ. कर्ता श्रीप्रकाश काबरा पुत्र स्व. सीताराम काबरा जाति माहेश्वरी सा. बनीपार्क, जयपुर हिस्सा 1/6 व प्रार्थी संख्या 3.– मंजू देवी शर्मा धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण सा. बनीपार्क, जयपुर हिस्सा 1/6 व प्रार्थी संख्या 4.– अर्पित काबरा पुत्र श्रीप्रकाश काबरा जाति माहेश्वरी सा.बनीपार्क, जयपुर हिस्सा 1/6 का अंकन किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेज सूची के साथ प्रमाणित प्रति जमाबन्दी, फोटो प्रति विक्रय पत्र, नामान्तरकरण संख्या 36, खतौनी बन्दोबस्त ग्राम हसमपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जवाब पेश किये जाने पत्र जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा जरिये क्रमांक 3512 दिनांक 16–12–2020 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में आगामी तारीख लम्बी होने के कारण प्रार्थीगण ने शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पत्रावली तलब कर प्रकरण तारीख पेशी छोटी कर प्रकरण में बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एंव अप्रार्थी के जवाब के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 158 रकबा 0.2800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.2200 हैक्टयर व खसरा नम्बर 160 रकबा 0.2300 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टयर की खातेदारी में प्रार्थीगण का विक्रय पत्र दिनांकीत 02–06–1992 एंव उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 36 के आधार पर अशुद्ध प्रविष्टीयों को दुरूस्त कर सही नाम व वल्दीयत दर्ज किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतित नही हो रही है, प्रतिवादी ने अपने जवाब में भी भू–प्रबन्ध संक्रिया के दौरान सहवनवश गलत नाम व वल्दीयत का अंकन किया जाना माना है, इस प्रकार उक्त आराजीयात् के राजस्व रिकार्ड में हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर प्रार्थीगण का सही नाम व वल्दीयत का अंकन किया जाना उचित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हसमपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.2800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.2200 हैक्टयर व खसरा नम्बर 160 रकबा 0.2300 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का सही एंव शुद्ध नाम अशोक कुमार शर्मा के स्थान पर अशोक कुमार शर्मा एच.यू.एफ. कर्ता अशोक कुमार शर्मा व प्रकाश काबरा के स्थान पर श्रीप्रकाश काबरा एच.यू.एफ. कर्ता श्रीप्रकाश काबरा व मंजू देवी शर्मा पुत्र गुलजारी लाल शर्मा के स्थान पर मंजू देवी शर्मा धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा व अर्पित पुत्र प्रकाश काबरा के स्थान पर अर्पित काबरा पुत्र श्रीप्रकाश काबरा का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर